भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/04/02/2015/एफ.सी. /1030

दिनॉक: 3/12/2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : 400 के0वी0 डी/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75.859 हे0 (28.870 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 हे0 संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8.896 हे0 आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84.755 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14(पी0जी0सी0आई0एल0)2014/वसु/प्रमवसं/6374, दिनांक–06.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(83)वन/2014, दि0ॉक: 02.01.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक– 16.06.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के0वी0 डी/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75.859 हे0 (28.870 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 हे0 संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8.896 हे0 आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84.755 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत कुल प्रभावित 470 वृक्षों में से 95 वृक्षों के पातन एवं 375 वृक्षों की लोपिंग की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. बूंदी वन मण्डलके अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 151.718 हे0 (75.859x2=151.718 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

3. कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 17.792 हे0 (8.896x2=17.792 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण को (यदि आवश्यक हो) उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

13. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

09/12/15

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान–302005 को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, बूंदी वन मण्डल, बूंदी, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, कोटा वन मण्डल, कोटा, राजस्थान।
6. उप महाप्रबन्धक, पॉवरग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र, 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, करणी माता मंदिर के पास, नान्ता, कोटा, राजस्थान।
7. कार्यपालक निदेशक, पॉवरग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–1, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–16
8. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश पत्रावली ।

09/12/15

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)